(ii) परती - इस भूमि पर एक या दो साल के अंतराल पर खेती होती थी।

(iii) चाचर - इसमें चार वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी।

(iv) बंजर - यह भूमि खेती योग्य नहीं थी। इस पर लगान नहीं वसूला जाता था।

औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू-राजस्व की 'नस्क' प्रणाली को अपनाया, जिसमें 'भू-राजस्व' की राशि को उपज का आधा कर दिया गया।

मुगलकालीन कृषि-व्यवस्था में किसान तीन भागों में विभाजित थे।

(i) खुदकाश्त - उस गाँव की भूमि पर खेती करते थे जहां किसान रहते थे।

(ii) पाही काश्त - दूसरे गाँव जाकर खेती करनेवाले किसान।

(iii) मुजारियन - किराये पर लेकर भूमि पर कृषि करने वाले कृषक।

मुगलकालीन सैन्य-व्यवस्था

मुगलकालीन सैन्य-व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था, जो शाही सेना में होते थे। दिये जाने वाले पद को 'मनसब' और ग्रहण करनेवाले व्यक्ति को 'मनसबदार' कहा जाता था। मनसबदार राज्य का वेतनभोगी पदाधिकारी होता था, उसे राज्य की फौजी सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में फौज देनी पड़ती थी।

मनसबदारी प्रथा मुगलकाल की सैन्य नौकरशाही प्रथा की रीढ़ थी। 'जात' से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था।

'सवार' पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का भी ज्ञान होता था। जहांगीर के आगे चलकर 'सवार' पदों में 'दो-अस्पा' और 'सिह-अस्पा' की व्यवस्था की।

Rajeet Kumar Singh
Asst. Prof. (History)
D.S.P.M.U

Scanned with CamScanner

मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य

① **सूबेदार** – प्रांतों में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करवाने का दायित्व सूबेदार का होता था।

② **दीवान** – प्रांतीय राजस्व का प्रधान अधिकारी दीवान कहलाता था।

③ **बख्शी** – यह प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था।

④ **फौजदार** – जिले का प्रधान फौजी अधिकारी 'फौजदार' कहलाता था।

⑤ **अमलगुजार** – जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी 'अमलगुजार' होता था।

⑥ **कोतवाल** – नगर का प्रधान कोतवाल होता था।

⑦ **शिकदार** – परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था।

⑧ **आमिल** – गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनानेवाला और लगान का निर्धारण करने वाला अधिकारी 'आमिल' होता था।

भू-राजस्व व्यवस्था

भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी:

(i) **खालसा भूमि** – प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में आनेवाली भूमि।

(ii) **जागीर भूमि** – मुगल काल में तनख्वाह के बदले दी जानेवाली भूमि को 'जागीर भूमि' कहा जाता था।

(iii) **सयूरगल** – राज्य की ओर से अनुदान में दी गई 'लगानहीन भूमि'।

1580 ई० में अकबर ने 'दहशाला' नामक नयी भू-राजस्व-व्यवस्था को शुरुआत की। इसे 'टोडरमल बंदोबस्त' भी कहा जाता था। इसके तहत भूमि को चार भागों में विभाजित किया गया।

(i) **पोलाज भूमि** – जिस भूमि पर प्रतिदिन खेती होती थी।

Scanned with CamScanner

"मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था"

B.A - Part II - Paper - 9th Guess Question - 7

Posted on - 4 May 2020

मुगलकालीन शासन व्यवस्था बाबर से प्रारंभ होकर परवर्ती मुगल शासकों तक चलती रही। संक्षेप में कहा जाये तो मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। सम्राट को प्रशासनिक गतिविधियों को सुगमता से संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती थी। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:-

मंत्रिपरिषद् को 'विजारत' कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करनेवाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी 'वकील' था, जिसके अधिकारों को अकबर ने दीवान, मीर बख्श, सद्र-उस-सद्र और मीर समन में विभाजित कर दिया था। जब कभी भी सद्र-उस सद्र न्याय विभाग के कार्यों को संपादित करता था तब उसे 'काजी' कहा जाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान 'मीर-सामान' कहलाता था।

सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान 'दारोगा-ए-डाक' कहलाता था। 'शरियत' के विपरित काम करने वाले को रोकना, आम जनता को नैतिक आचरणों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना 'मुहतसिब' नाम का अधिकारी करता था।

प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना और महाल का जिले या तालुक में किया जाता था।

मुगल काल में शासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी जिसे 'मावदा' कहा जाता था।

Scanned with CamScanner